

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/ अति.मु.न.नि./ बीपीसी (एल.पी)/2013/डी- 42

दिनांक: 20/12/13

कार्यालय आदेश

भवन मानचित्र समिति ले-आउट प्लान की 207 वीं बैठक दिनांक 08.11.2013 के द्वारा प्लान्टेशन कोरीडोर के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया गया है, जो निम्नानुसार है:-
“भूखण्ड की लीजडीड जारी करने से पूर्व प्लान्टेशन कोरीडोर के संबंध में संदर्भित शपथ-पत्र आवेदक से लिया जावे, जिसमें उल्लेख करवाया जावे कि प्लान्टेशन कोरीडोर को विकसित करने का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण का रहेगा। वन विभाग/जविप्रा द्वारा वृक्षारोपण करवाया जा सकेगा एवं वृक्षारोपण का रख-रखाव जविप्रा द्वारा किया जावेगा। लीज डीड के साथ स्थल मानचित्र में प्लान्टेशन कोरीडोर में दिय जाने वाले प्रवेश/निकास के लिए रास्ते की चौड़ाई भी दर्शाई जावे।”

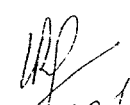
उपरोक्त नीतिगत निर्णय के संबंध में यह आदेश जारी किया जाता है कि संबंधित उपायुक्त के स्तर से शपथ-पत्र लिया जावे एवं समुचित अनुपालना सुनिश्चित की जावे।


सचिव,

जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एलपीसी/भूमि/पृथ्वीराज नगर) जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त उपायुक्त, जोन, जविप्रा, जयपुर।
6. उप/सहायक नगर नियोजक, जोन 1 से 16, जविप्रा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
8. अति. मुख्य नगर निरीक्षक I/II जविप्रा, जयपुर।
9. समस्त वरिष्ठ नगर निरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।


निदेशक (आयोजना),
जविप्रा, जयपुर